

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2330] No. 2330] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2014/कार्तिक 22, 1936

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2014/KARTIKA 22, 1936

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विमाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2014

का.आ. 2905(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के खण्ड 10 (1) (पी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 13 के खण्ड (एफए) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण की आवश्यकताएं) आदेश, 2012" की अनुसूची में निम्नलिखित उत्पादों को शामिल करती हैं, नामत :—

क्र. सं	उत्पाद	भारतीय मानक संख्या	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
16	आईटी उपकरणों के लिए विद्युत एडेप्टर	भारतीय मानक 13252 (भाग – 1): 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर-सुरक्षा सामान्य आवश्यकताएं
17.	श्रव्य, दृश्य और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एडेप्टर	भारतीय मानक 616 : 2010	श्रव्य, दृश्य और समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सुरक्षा आवश्यकताएं
18.	≤ कंवीए रेटिंग का यूपीएस/इन्वर्टर	भारतीय मानक 16242 (भाग—1) : 2014	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण-सुरक्षा आवश्यकताएं
19.	एलईडी माड्यूलों के लिए डी. सी. अथवा ए. सी. आपूर्ति वाले इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलगियर	भारतीय मानक 15885 (भाग 2/खण्ड 13) : 2012	लैंप कंट्रोलिगयर की सुरक्षा भाग—2 विवरण धारा 13 की आवश्यकताएं, एलईडी मॉड्यूलों के लिए डी.सी. अथवा ए. सी. आपूर्ति वाले इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिगयर
20.	पोर्टेबल अनुप्रयोग में उपयोग के लिए क्षारीय या अन्य गैरअम्ल इलेक्ट्रोलाइटस वाले द्वितीयक सेल/बैटरियां	भारतीय मानक 16046 : 2012	पोर्टेंबल अनुप्रयोगों के लिए सील वाले द्वितीयक सेल और उनसे बनी बैटरियों के लिए क्षारीय तथा अन्य गैर-अम्ल वाली इलेक्ट्रोलाइट्स-सुरक्षा आवश्यकताएं
21.	सामान्य प्रकाश सेवाओं के लिए सैल्फ बैलास्टिड एलईडी लैम्प	भारतीय मानक 16102 (भाग 1) : 2012	सामान्य लाइटिंग सेवा भाग 1 सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए सैल्फ बैलेस्टिड एलईडी लैम्प
22.	निर्धारित सामान्य प्रयोजन एलईडी ल्यूमिनेयर्स	भारतीय मानक 10322 (भाग 5/खण्ड 1) : 2012	ल्यूमिनेयर्स भाग 5 विषेष आवश्यकताएं खंड 1 सामान्य प्रयोजन ल्यूमिनेयर्स
23.	मोबाइल फोन	भारतीय मानक 13252 (भाग—1) : 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण—सुरक्षा—सामान्य आवश्यकताएं

24.	रोकड़ बहियां	भारतीय मानक 13252 (भाग—1) : 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण-सुरक्षा-सामान्य आवश्यकताएं
25.	विक्री केन्द्र विन्दु	भारतीय मानक 13252 (भाग—1) :	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण–सुरक्षा–सामान्य आवश्यकताएं
26.	कॉपी करने की मशीनें / खुप्लीकेटर	भारतीय मानक 13252 (भाग-1) :	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण–सुरक्षा–सामान्य आवश्यकताएं
27,	स्मार्ट कार्ड शेडर्स	भारतीय मानक 13252 (भाग-1) : 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण—सुरक्षा–सामान्य आवश्यकताएं
28.	डाक संसाधन मधीनें/डाक शुल्क मशीनें/फ्रेकिंग मशीनें	भारतीय मानक 13252 (भाग-1) : 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण-सुरक्षा–सामान्य आवश्यकताएं
29.	पासपोर्ट रीडर	भारतीय मानक 13252 (भाग-1) : 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण—सुरक्षा—सामान्य आवश्यकताएं
30.	पोर्टेबल अनुप्रयोगों में इस्तेमाल के लिए पावर बैंक	भारतीय मानक 13252 (भाग-1): 2010	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण–सुरक्षा–सामान्य आवश्यकताएं

- 2. ''इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2012'' के उपबंध सिवाए पैरा 1(2) के उपर्युक्त आदेश की अनुसूची में इस आदेश के तहत क्रमांक 20 में उल्लिखित मद को छोड़कर शेष मदों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह की समाप्ति पर तथा क्रमांक 20 में दी गई मदों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की समाप्ति पर लागू होंगे।
- 3. अनुसूची में वर्णित सभी माल के लिए ब्यूरो द्वारा समय पर प्रकाशित और अधिसूचित अद्यतन मानक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ऐसे मानकों की अधिसूचना की तारीख से छह नाह की समादि पर लागू होंगें। ऐसे साग्य तक पहले ही पंजीकृत माल के लिए निगरानी परीक्षण, जब और जैसे ही किया जायेगा, तत्पश्चात् अद्यतन मानकों के अनुसार किया जायेगा। इसके अलावा, पंजीकरण चक्र की वैधता समाप्त होने पर पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्य पंजीकरण योजना के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

टिप्पणी: —मूल आदेश दिनांक 3 अक्टूबर, 2012 की संख्या का.आ. 2357(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् इसमें दिनांक 20 मार्च, 2013 के का.आ. 822(अ) तथा दिनांक 25 जून, 2013 के का.आ. 2034(अ) के द्वारा संशोधन किया गया था।

> [फा. सं. 37(1) / 2013—आईपीएचडब्ल्यू (भाग)] ं डॉ. अजय कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2014

S.O. 2905(E).—In exercise of the power conferred by clause 10(1)(p) of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) and in pursuance of clause (fa) of the rule 13 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987 the Central Government, hereby includes the following products to the Schedule of the Electronics and Information Technology Goods (Requirement for Compulsory Registration) Order, 2012, namely:—

S. No.	Product	Indian Standard Number	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Power Adaptors for IT Equipments	IS 13252 (Part-1) : 2010	Information Technology Equipment – Safety – General Requirements
17	Power Adaptors for Audio, Video & Similar Electronic Apparatus	IS 616 : 2010	Audio, Video and Similar Electronic Apparatus - Safety Requirements
18	UPS / Invertors of rating ≤ 5kVA	IS 16242 (Part-1): 2014	General and Safety Requirements for UPS
19	DC or AC Supplied Electronic Controlgear for LED Modules	IS 15885 (Part2/Sec 13) : 2012	Safety of Lamp Controlgear Part 2 Particular Requirements Section 13 d.c or a.c Supplied Electronic Controlgear for LED Modules
20	Sealed Secondary Cells / Batteries containing Alkaline or other non-acid Electrolytes for use in portable applications	IS 16046 : 2012	Secondary Cells and Batteries containing Alkaline or other non-acid Electrolytes – Safety Requirements for Portable sealed secondary cells, and fo Batteries made from them, for use in portable applications

21	Self-Ballasted LED Lamps for General Lighting Services	IS 16102 (Part 1): 2012	Self-Ballasted LED Lamps for Genera Lighting Services Part 1 Safety Requirements
22	Fixed General Purpose LED Luminaires	IS 10322 (Part 5 / Sec 1) : 2012	Luminaires Part 5 Particular Requirements Sec 1 Fixed General purpose luminaires
23	Mobile Phones	IS 13252 (Part-1) : 2010	Information Technology Equipment – Safety – General Requirements
24	Cash Registers	IS 13252 (Part-1) : 2010	Information Technology Equipment – Safety – General Requirements
25	Point of Sale Terminals	IS 13252 (Part-1) : 2010	Information Technology Equipment – Safety – General Requirements
26	Copying Machines / Duplicators	IS 13252 (Part-1) : 2010	Information Technology Equipment – Safety – General Requirements
27	Smart Card Readers	IS 13252 (Part-1) : 2010	Information Technology Equipment – Safety – General Requirements
28	Mail Processing Machines/Postage Machines / Franking Machines	IS 13252 (Part-1) : 2010	Information Technology Equipment – Safety – General Requirements
29	Passport Reader	IS 13252 (Part-1) : 2010	Information Technology Equipment – Safety – General Requirements
30	Power Banks for use in portable applications	IS 13252 (Part-1) : 2010	Information Technology Equipment – Safety – General Requirements

- 2. The provisions of "Electronics & IT Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2012" except paragraph 1(2), shall apply on the items added by virtue of this order to the schedule of the said Order on the expiry of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette for items other than S. No. 20 and on the expiry of nine months from the date of publication of this notification in the Official Gazette for items of S. No. 20.
- 3. For all the goods mentioned in the schedule, the latest standards as published and notified by the Bureau from time to time would apply on expiry of six months from the date of notification of such standards by the BIS. For goods already registered till such time, the surveillance testing as and when carried would be as per the latest standards. Further, renewal of registration would be done to the latest standards as per the provisions of the Compulsory Registration Scheme on expiry of validity of registration cycle.

Note:—The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 2357(E), dated the 3rd October 2012 and subsequently amended *vide* number S.O. 822(E), dated the 20th March, 2013 and S.O. 2034(E), dated 25th June, 2013.

[F. No. 37(1)/2013-IPHW (Pt)]
Dr. AJAY KUMAR, Jt. Secy.